Govt. of Bihar

BC & EBC Welfare Department

NOTIFICATION

No.- B.C/Reg.Est-15-01/2018 -----1468--------/ Patna, dated-27/08/202

In exercise of the powers conferred by the proviso to the Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Bihar is pleased to make the following Rules of appointment/promotion and other service conditions for the posts of Backward Class & Extremely Backward Class Welfare Services under the Backward Class & Extremely Backward Class Welfare Department, Bihar, Patna:-

1. Short title, extent and commencement. – (1) These rules may be called Bihar Backward Class & Extremely Backward Class Welfare Officer Service (Appointment and Service Conditions) Rules, 2020.

   (2) It shall extend to the whole of the State of Bihar.

   (3) It shall come in to force from the date of publication in the gazette.

2. Definitions.- In these rules unless others wise requires in the context.-

   (i) "Service" means Bihar Backward Class & Extremely Backward Class Welfare Service;

   (ii) "State Government" means Government of Bihar;

   (iii) "Commission" means Bihar Public Service Commission;

   (iv) "Governor" means Governor of Bihar;

   (v) "Basic Category" means Sub Divisional Backward & Extremely Backward Class Welfare Officer;

   (vi) "Member" or "Member of the Service" means any person appointed in the Bihar Backward Class & Extremely Backward Class Welfare Service;

   (vii) "Bihar Backward Class & Extremely Backward Class Welfare Service". means post of different grades in this service;ie.-(1) Sub Divisional Backward and Extremely Backward Class Welfare Officer, (2) District Backward and Extremely Backward Class Welfare Officer, (3) Divisional Deputy Director, Backward and Extremely Backward Class and other gazetted post to be created in this service from time to time.

(viii) "Year" means Financial Year i.e. year starting form 1st April and ending on 31st March;

(ix) "Available Vacancy" means vacancy available due to the creation of new posts under Bihar Backward Class & Extremely Backward Class Welfare Service or any other reason;

(x) "Department " means the Backward Class and Extremely Backward Class Welfare Department;

(xi) "Controlling Authority" means Principal Secretary/Secretary, Backward Class and Extremely Backward Class Welfare Department.

3. Service Structure.- This service will be under the administrative control of the Backward Class & Extremely Backward Class Welfare Department. The structure of service shall be as below-

S.N	Designation	Source of Recruitment	Non-Gazetted/Gazetted	Appointing Authority
1	Sub-Divisional Backward and Extremely Backward Class Welfare Officer	Direct Recruitment	Gazetted (Basic Grade)	Departmental Minister through Principal Secretary/ Secretary
2	District Backward and Extremely Backward Class Welfare Officer	By Promotion	Gazetted (First Promotional level)	Governor of Bihar
3	Divisional Deputy Director, Backward and Extremely Backward Class	By Promotion	Gazetted (Second Promotional level)	Governor of Bihar

4. This Service will be of the State level. State Government may fix the cadre strength of the service and approve the creation of permanent/temporary post under this cadre besides the mentioned approved posts under para-3 in this rule. The Pay scale/Pay level of the different grades of the service will be as fixed by the State Government time-to-time.

5. Source of recruitment.- In the basic grade of this service recruitment of Sub-Divisional Backward & Extremely Backward Class Welfare Officer will be made by direct recruitment. All the posts higher to the post of Sub-Divisional Backward & Extremely Backward Class Welfare Officer shall be filled by promotion from the post that is just lower. Promotion will be granted on the basis of recommendation of Departmental Promotion Committee/Commission. In the case of unavailability of the officers in the service, posts may be temporarily filled on the basis of deputation of equivalent officers from other departments of the Govt.
6. Reservation.- Compliance of reservation/roster will be necessary in the appointment/Promotion according to the rules and procedures made by General Administration Department, Government of Bihar from time-to-time.
7. Determination of Vacancy and Communication to Commission.- Controlling authority shall calculate the vacancy of Direct recruitment and Promotion on the basis of 1st April every year and shall send the requisition regarding Direct vacancies reservation category wise to the Commission by the 30th April.
8. Recruitment through Joint Competitive Examination.- The Commission shall advertise the vacancies after receiving category wise vacancy from the Department and shall invite applications from the eligible candidates for the recruitment to all the posts in the basic grade of Bihar Backward Class & Extremely Backward Class Welfare Service through Joint Competitive Examination.
9. Eligibility.- The age/minimum educational qualification of the candidates for direct recruitment in this service shall be the same as laid for the Joint Competitive Examination being conducted by the Bihar Public Service Commission.

10.Recommendation of candidate by Commission.- On the basis of Joint Competitive Examination, Commission will prepare a merit list and recommend the State Government. Merit list will be valid for one year from the date of receipt of the recommendation in the Department.

11.Seniority.- Inter-se seniority of the Sub-Divisional Backward and Extremely Backward Class Welfare Officers recruited under this service as per rule shall be according to their merit position in the merit list recommended by the Commission. Seniority of the members of this service shall be determined according to the principles and procedures laid down by the General Administration Department of the State Government.

12.Administrative Control over the members of the cadre.-

(a) Backward Class and Extremely Backward Class Welfare Department will be the Administrative Department of all the posts under the grades of this cadre, which will keep administrative control over the members of the cadre.

(b) Operational control.- Sub-Divisional Backward and Extremely Backward Class Welfare Officer and the members of the posts higher to this will be under operational control of the cadre office head of the Division/District/Sub-Division in which they are posted.

13.Probation period.-

(1) Each candidate recruited against the regular vacancy shall be on probation for two years from the date of joining. In the case of service being not satisfactory during probation period, it can be extended for the next one more year. In case of service being unsatisfactory in the extended period also the service of the person may be terminated.

(2) Appointing authority may cancel the appointment of any such officer recruited in this service, who do not fulfill the conditions related to appointment, or his service is not found satisfactory, or is not eligible for confirmation in this service due to other reasons.

(3) After first increment, the next increment shall be admissible only after passing the prescribed departmental examination.

14. Departmental Examination.- It shall be compulsory for every member appointed in this service through direct recruitment to pass the departmental examination prescribed by Board of Revenue for this service.

15. Confirmation.- The service of basic category officer appointed in this service shall be confirmed after completion of satisfactory probation period and passing departmental examination.

16. Selection Criteria for promotion.- The principle of Seniority- cum-Qualification will be followed for determining the eligibility criteria of the candidates for promotion under this service.

17. Selection procedure for promotion.- (i) All the promotions shall be given on the basis of the recommendations of Departmental Promotion Committee. It will be necessary to fulfill the minimum qualifying service i.e. "Kalawadhi", for such promotions and other related conditions determined by General Administration Department from time-to-time.

(ii). The Departmental Promotion Committee will be constituted by the cadre controlling authority by issuing separate order in this regard, for the promotion to different posts under this service.

18. Residuary matters.- With regard to matters not specifically covered under the provisions of this rule or those not notified separately for this Cadre, The member of the Service shall be governed by the other relevant rules, orders and circulars which is applicable from time to time to the equivalent officers/employees of the State Government.

19.Removal of difficulties.- Backward Class and Extremely Backward Class Welfare Department may, from time to time, issue such general or special direction as may be necessary to remove difficulties in the operation of any of the provisions of this Rule.

20. Power to relax.- Where the Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do; it may, by order, for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of this rule with respect to any person or category.

21. Interpretation.- Where any doubt arises as to the interpretation of any of the provisions of this Rule or the Rules made under it, or the Regulations made thereunder, the matter shall be referred to Law Department and after obtaining opinion of Law Department the Backward Class and Extremely Backward Class Welfare Department whose decision thereon shall be final.

22. Repeal and Savings.- (i) All resolutions, rules and order issued earlier with respect to this service are hereby repealed.

(ii) Notwithstanding such repéal, anything done or any action taken in the exercise of any power conferred by or under such resolutions/rules and orders shall be deemed to have been done or taken in exercise of the powers conferred by or under these rules as if these Rules were in force on the day on which such thing or action was done or taken.

By the order of the Governor of Bihar,

27.8.20

(Prem Singh Meena)

Secretary to the Govt.

Memo No.- B.C/Reg.Est-15-01/2018 -1468 Patna, dated--27/08/2020

No----------- English version of Bihar Backward Class & Extremely Backward Class Welfare Officer Service (Appointment and Service conditions) Rules, 2020, by the Authority of Governor of Bihar is being published here by which the English version of the said rule shall be deemed authorized under the article 348 section (3) of the constitution.

By the order of the Governor of Bihar,

27.8.20

(Prem Singh Meena)

Secretary to the Govt.

बिहार सरकार
पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग
॥ अधिसूचना ॥

संख्या–पि०व०क्षे०स्था०–15–01/2018–1468/ पटना, दिनांक– 27/08/20..

भारत संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल, पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, बिहार, पटना के अधीन पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण सेवा के पदों पर नियुक्ति/प्रोन्नति तथा अन्य सेवा शर्तों को विनियमित करने हेतु निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं:–

1. **संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारंभ।**– (1) यह नियमावली ''बिहार पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण पदाधिकारी सेवा (भर्ती एवं सेवाशर्तें) नियमावली, 2020'' कही जा सकेगी।
(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा।
(3) यह राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होगी।

2. **परिभाषाएँ।**– इस नियमावली में जब तक कोई बात विषय या संदर्भ में विरूद्ध न हों,
(i) ''सेवा'' से अभिप्रेत है बिहार पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण सेवा;
(ii) ''राज्य सरकार' से अभिप्रेत है बिहार राज्य सरकार;
(iii) ''आयोग'' से अभिप्रेत है बिहार लोक़ सेवा आयोग;
(iv) ''राज्यपाल'' से अभिप्रेत है बिहार के राज्यपाल;
(v) ''मूल कोटि'' से अभिप्रेत है अनुमंडल पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण पदाधिकारी;
(vi) ''सदस्य'' या ''सेवा के सदस्य'' से अभिप्रेत है बिहार पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण सेवा में नियुक्त कोई व्यक्ति;
(Vii) ''बिहार पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण सेवा'' से अभिप्रेत है इस सेवा के विभिन्न कोटि के पद, यथा– (1) अनुमण्डल पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण पदाधिकारी, (2) जिला पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण पदाधिकारी, (3) प्रमण्डलीय उप निदेशक, पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण तथा समय–समय पर इस सेवा में सृजित होने वाले अन्य राजपत्रित पद;
(Viii) ''वर्ष'' से अभिप्रेत है वित्तीय वर्ष अर्थात् 1 अप्रैल से प्रारम्भ होकर अगले वर्ष के 31 मार्च को समाप्त होने वाला वर्ष;
(ix)''उपलब्ध रिक्ति'' से अभिप्रेत है बिहार पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण सेवा के नए पदों के सृजन अथवा अन्य कारणों से उत्पन्न रिक्ति।
(x) ''विभाग'' से अभिप्रेत है पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, बिहार, पटना;
(xi) ''नियंत्री प्राधिकार'' से अभिप्रेत है ''प्रधान सचिव/सचिव, पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग''।

3. **सेवा की संरचना।**— यह सेवा पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन होगी। सेवा की संरचना निम्नरूपेण होगी—

क्रमांक	पदनाम	नियुक्ति का स्त्रोत	अराजपत्रित / राजपत्रित	नियुक्ति प्राधिकार
1	अनुमण्डल पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण पदाधिकारी	सीधी भर्ती	राजपत्रित (मूल कोटि)	प्रधान सचिव / सचिव, के माध्यम से विभागीय मंत्री
2	जिला पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण पदाधिकारी	प्रोन्नति द्वारा	राजपत्रित (प्रथम प्रेन्नति स्तर)	बिहार राज्यपाल
3	प्रमण्डलीय उप निदेशक, पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण	प्रोन्नति द्वारा	राजपत्रित (द्वितीय प्रोन्नति स्तर)	बिहार राज्यपाल

4. यह सेवा राज्य स्तरीय होगी। राज्य सरकार, समय—समय पर सेवा के विभिन्न कोटि के पदों का स्वीकृत बल विनिश्चित कर सकेगी और इस नियमावली में उल्लेखित स्वीकृत पदों के अतिरिक्त, इस सेवा के स्थायी / अस्थायी पदों की सृजन की स्वीकृति दे सकेगी। सेवा के विभिन्न कोटि के पदों का वेतनमान / वेतन—स्तर वही होगा जो समय—समय पर राज्य सरकार द्वारा निर्धारित किया जाय।

5. **भर्ती के स्त्रोत।**— इस सेवा के मूल कोटि में अनुमण्डल पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण पदाधिकारी की नियुक्ति, सीधी भर्ती द्वारा की जाएगी। अनुमण्डल पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण पदाधिकारी के पद से उच्चतर सभी पदों को उसके ठीक निचले पदों से प्रोन्नति द्वारा भरा जाएगा। प्रोन्नति विभागीय प्रोन्नति समिति / आयोग की अनुशंसा / परामर्श प्राप्त कर की जाएगी। सेवा में पदाधिकारियों की अनुपलब्धता की स्थिति में इसके पदों को, अस्थाई रूप से, सरकार के दूसरे विभागों के समकक्ष पदाधिकारियों से, प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरा जा सकेगा।

6. **आरक्षण।**— सामान्य प्रशासन विभाग बिहार, पटना द्वारा समय—समय पर, विहित नियम एवं प्रक्रिया के अनुसार, नियुक्ति / प्रोन्नति में आरक्षण रोस्टर का अनुपालन आवश्यक होगा।

7. **रिक्तियों का अवधारण एवं आयोग को संसूचन।**— नियंत्री प्राधिकार प्रत्येक वर्ष की पहली अप्रैल को सीधी भर्ती एवं प्रोन्नति से भरी जाने वाली रिक्तियों की गणना करेगी तथा सीधी भर्ती हेतु आरक्षण कोटिवार रिक्तियों की अधियाचना प्रत्येक वर्ष 30 अप्रैल तक आयोग को भेजेगी।

8. **संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा द्वारा भर्ती।**— आयोग, प्राप्त अधियाचना के आधार पर विज्ञापन निकाल कर, संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के द्वारा, बिहार पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण सेवा के मूल कोटि के पदों पर भर्ती के लिए पात्र अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त कर सकेगा।

9. **पात्रता।**— सेवा में सीधी भर्ती के लिए उम्मीदवारों की उम्र एवं न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता वही होगी जो बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा संचालित की जाने वाली संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के लिए विहित की गयी हो।

10. **आयोग द्वारा अभ्यर्थियों की अनुशंसा।**— आयोग संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर मेधासूची तैयार कर अपनी अनुशंसा राज्य सरकार को उपलब्ध कराएगा। मेधा सूची, विभाग में अनुशंसा प्राप्त होने की तिथि से केवल एक वर्ष के लिए वैध होगी।

11. **वरीयता।**— इस नियमावली के अधीन इस सेवा में भर्ती किये गये अनुमण्डल पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण पदाधिकारी की पारस्परिक वरीयता आयोग द्वारा अनुशंसित मेधा सूची के अनुसार अवधारित की जाएगी। इस सेवा के सदस्यों की आपसी वरीयता का निर्धारण, राज्य सरकार (सामान्य प्रशासन विभाग) द्वारा समय–समय पर निर्धारित सिद्धांतों एवं प्रक्रिया के अनुसार होगा।

12. **संवर्ग के सदस्यों पर प्रशासनिक नियंत्रण।**—

(क) संवर्ग के सभी कोटि के पदों का प्रशासी विभाग पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग होगा जिसका संवर्ग के सदस्यों पर प्रशासनिक नियंत्रण रहेगा।

(ख) परिचालनात्मक (ऑपरेशनल) नियंत्रण–अनुमण्डल पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण पदाधिकारी एवं उससे उच्चतर पदों के सदस्य, जिस प्रमण्डल/जिला/अनुमण्डल में पदस्थापित रहेंगे, उस कार्यालय के कार्यालय प्रधान के परिचालनात्मक नियंत्रण में रहेंगे।

13. **परिवीक्षा–अवधि।**— (1) किसी मौलिक पद के विरूद्ध नियुक्त मूल कोटि के प्रत्येक पदाधिकारी, अपने पदग्रहण की तिथि से दो वर्षों की अवधि के लिए परिवीक्षा पर रहेगा। परिवीक्षा अवधि में सेवा संतोषजनक नहीं होने पर लिखित किये जा सकने वाले कारणों को अभिलिखित करते हुए इसे अगले एक और वर्ष के लिए विस्तारित किया जा सकेगा। विस्तारित अवधि में भी सेवा संतोषजनक नहीं होने पर सेवा समाप्त की जा सकेगी।

(2) नियुक्ति प्राधिकार इस सेवा में भर्ती किए गये ऐसे किसी पदाधिकारी की नियुक्ति समाप्त कर सकेंगे जो नियुक्ति संबंधी शर्तों को पूरा नहीं करता हो अथवा उसकी सेवा संतोषजनक नहीं रहने या अन्य कारणों से इस सेवा में सम्पुष्टि के योग्य नहीं है।

(3) प्रथम वार्षिक वेतन वृद्धि के बाद अगली वेतन वृद्धि विहित विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण होने के बाद ही अनुमान्य होगी।

14. **विभागीय परीक्षा।** —सेवा में सीधी भर्त्ती से नियुक्त सदस्यों के लिए राजस्व पर्षद द्वारा आयोजित एवं इस सेवा हेतु विहित विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक होगा।

15. **सम्पुष्टि।**— इस सेवा में नियुक्त मूल कोटि के पदाधिकारी की सेवा परिवीक्षा अवधि के संतोषजनक रूप से पूर्ण होने तथा विभागीय परीक्षा एवं अन्य यथा–विहित परीक्षा उत्तीर्ण होने के उपरान्त सम्पुष्ट की जा सकेगी।

16. **प्रोन्नति के लिए चयन का मापदण्ड।**—सेवा के अन्तर्गत प्रोन्नति "वरीयता सह योग्यता" के आधार पर दिया जा सकेगा।

17. **प्रोन्नति हेतु चयन की प्रक्रिया।**—(i) सभी प्रोन्नतियां विभागीय प्रोन्नति समिति की अनुशंसा के आधार पर दिया जाएगा। प्रोन्नति के लिए सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा समय–समय पर निर्धारित कालावधि एवं अन्य संबंधित शर्तों का पूरा होना आवश्यक होगा।

(ii) इस सेवा के अन्तर्गत विभिन्न पदों पर प्रोन्नति हेतु विभागीय प्रोन्नति समिति का गठन संवर्ग नियंत्री प्राधिकार द्वारा अलग से आदेश निर्गत कर किया जाएगा।

18. **अवशिष्ट मामले।**—ऐसे मामलों के संबंध में, जो इस नियमावली द्वारा विशिष्ट रूप से आच्छादित नहीं हो या जो इस संवर्ग के लिए पृथक रूप से अधिसूचित न हो, सेवा के सदस्य, राज्य सरकार के समुचित स्तर के पदाधिकारियों/कर्मचारियों के लिए लागू नियमावली, विनियमावली या अन्य सुसंगत आदेशों से शासित होंगे।

19. **कठिनाईयों का निराकरण।** — पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग समय–समय पर ऐसा सामान्य या विशेष निदेश जारी कर सकेगा जो इस नियमावली के प्रावधानों में से किसी के कार्यान्वयन में आ रही कठिनाई के निराकरण के लिए आवश्यक हो।

20. **शिथिल करने की शक्ति**— जहाँ सरकार की यह राय हो कि ऐसा करना आवश्यक और समीचीन है वहाँ आदेश द्वारा कारणों को अभिलिखित करते हुए किसी व्यक्ति या किसी कोटि के संबंध में इस नियमावली के प्रावधानों में से किसी को शिथिल कर सकेगी।

21. **निर्वचन।**— जहाँ इस नियमावली के प्रावधानों में से किसी के निर्वचन के संबंध में कोई शंका उत्पन्न हो वहाँ मामला विधि विभाग को निर्दिष्ट किया जा सकेगा एवं विधि विभाग से परामर्श प्राप्त करने के पश्चात् पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग द्वारा विनिश्चित किया जायेगा और उसका निर्णय अन्तिम होगा।

22. **निरसन एवं व्यावृत्ति।**— (i) इस सेवा के संबंध में विभाग द्वारा समय–समय पर पूर्व में निर्गत संकल्प/नियमावली/आदेश आदि एतद् द्वारा निरसित समझी जाएगी।

(ii) ऐसे निरसन के होते हुए भी पूर्व में निर्गत संकल्प/नियमावली/आदेश आदि के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए किया गया कोई कार्य या की गई कोई कार्रवाई इस नियमावली द्वारा या इसके अधीन प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए किया गया समझा जाएगा, मानो यह नियमावली उस तिथि को प्रवृत्त थी जिस तिथि को ऐसा कोई कार्य या ऐसी कोई कार्रवाई की गयी थी।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

(प्रेम सिंह मीणा)
सरकार के सचिव।

ज्ञापांक: पि०व०क्षे०स्था०–15–01/2018– 1468 पटना, दिनांक– 27/08/2020

संख्या .... बिहार पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण पदाधिकारी सेवा (भर्ती एवं सेवाशर्तें) नियमावली, 2020'' का निम्नलिखित अँग्रेजी अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जिसे संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अधीन उक्त नियमावली का अँग्रेजी भाषा में प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

(प्रेम सिंह मीणा)
सरकार के सचिव।

ज्ञापांक: पि०व०क्षे०स्था०–15–01/2018– 1468 पटना, दिनांक– 27/08/2020

प्रतिलिपि:–वित्त विभाग, ई–गजट शाखा को सी0डी0 सहित दो प्रतियों में इस अनुरोध के साथ प्रेषित किया जाता है कि इसे बिहार गजट के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी 50 प्रतियाँ पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग को उपलब्ध कराई जाए।

सरकार के सचिव।

ज्ञापांक: पि०व०क्षे०स्था०–15–01/2018– 1468 पटना, दिनांक– 27/08/2020

प्रतिलिपि:–महालेखाकार, बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

सरकार के सचिव।

ज्ञापांक: पि०व०क्षे०स्था०–15–01/2018– 1468 पटना, दिनांक– 27/08/2020

प्रतिलिपि:–मुख्य सचिव/सभी विभागाध्यक्ष/सचिव, बिहार लोक सेवा आयोग/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकरी/पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के सभी पदाधिकारी को सूचनार्थ प्रेषित।

सरकार के सचिव।

ज्ञापांक: पि०व०क्षे०स्था०–15–01/2018– 1468 पटना, दिनांक– 27/08/2020

प्रतिलिपि:–आई0टी0 मैनेजर, पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग को विभागीय वेबसाईट पर उक्त नियमावली की प्रति अपलोड करने हेतु प्रेषित।

सरकार के सचिव।